

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) समाजशास्त्र के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने आंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र.सं.	नाम	कहाँ से (राजमावि)	जिला	कहाँ को (राजमावि)	जिला
1	मुरलीधर पालीवाल	गिराजसर कोलायत बीकानेर	Bikaner	राजमावि, काकड़ा जिला बीकानेर	Bikaner
2	मनीषा जोशी	आंजरोलीखास झाडोल फ उदयपुर	Udaipur	राजमावि, ईसवाल, बडगांव जिला उदयपुर	Udaipur
3	प्रेमप्रकाश पी परमार	राजमावि, पीलवा	Jodhpur	राजमावि, सूरसागर जिला जोधपुर	Jodhpur

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 05.06.2018 तक कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/ कोर्ट रथगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निर्देशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/ दिव्यांग के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्वथा प्रभारी सरथा प्रधान के विरुद्ध अनुशारानात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। जिन व्याख्याताओं को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है वे अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देगे, इनके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(Signature)

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:-

27-5-2018

क्रमांक-शिविरा-मा/सी-5/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2018

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मानवीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.....
5. संबंधित प्रधानाचार्य राजमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे ।
6. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. संबंधित कार्मिक
8. शोधन पत्रावली

(Signature)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) समाजशास्त्र के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र.सं.	नाम	कहाँ से (राउमावि)	जिला	कहाँ को (राउमावि)	जिला
1	मनीष शर्मा	बडी सांखथली अरनोद प्रतापगढ़	Pratapgarh	राउमावि धरियावद प्रतापगढ़	Pratapgarh
2	हंसा शर्मा	राउमावि डेलाना सहाडा भीलवाडा	Bhilwara	राउमावि शाहपुरा भीलवाडा	Bhilwara
3	प्रदीप झाडा	रावाउमावि बून्दी	Bundi	राउमावि, तलवण्डी कसार	Kota
4	राधेश्याम तानेनिया	15 कै.डब्लू डी. रावतसर हनुमानगढ़	Hanuman garh	रावाउमावि सीथल, उदयपुरवाटी	Jhunjhunu
5	राजेश डावी	राउमावि, शाहपुरा, पं.स. शाहपुरा, जिला भीलवाडा	Bhilwara	राउमावि, डेलाना, पं.स. सहाडा, जिला भीलवाडा	Bhilwara
6	सुनीलकुमार खटोक	राउमावि चौड खंडा सहाडा भीलवाडा	Bhilwara	राउमावि जोरावरपुरा माण्डल भीलवाडा	Bhilwara
7	दीपलाल पालीवाल	चौधरी बुधराम राउमावि, पोपावास, मण्डोर	Jodhpur	रावाउमावि लोहावट जोधपुर	Jodhpur
8	राजेंद्र प्रसाद शर्मा	राउमावि जोरावरपुरा माण्डल जिला भीलवाडा	Bhilwara	आदेशों की प्रतीक्षा में	Bhilwara
9	योगेश कुमार	राउमावि तलवण्डी कसार	Kota	आदेशों की प्रतीक्षा में	Kota

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 05.06.2018 तक कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/ कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/ दिव्यांग के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। जिन व्याख्याताओं को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है वे अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे, इनके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 27-5-2018

क्रमांक:- शिविर-मा/सी-5/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.....
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करायें।
6. कंप्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. संबंधित कार्मिक
8. शिक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर